



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

३० अग्रहायण १९३४ (श०)

(सं० पटना ६८३) पटना, शुक्रवार, २१ दिसम्बर २०१२

योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

अधिसूचना
२० दिसम्बर २०१२

सं० जी०सां०का-३४/२०१२/२४२२—जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९६९ की धारा-३० द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, केन्द्र सरकार के अनुमोदन से, "बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, १९९९" में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती हैः—

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ।—(१) यह नियमावली बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, २०१२ कही जा सकेगी।
(२) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(३) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
- उक्त नियमावली, १९९९ के नियम ५ के उप-नियम (१) में संशोधन।—उक्त नियमावली, १९९९ के नियम ५ के उप-नियम (१) में शब्द "जन्म" के बाद तथा शब्द "मृत्यु" के पूर्व शब्द, "दत्तक बच्चे का जन्म" अंतःस्थापित किये जायेंगे तथा शब्द फारम-१, २ के मध्य "१-क" अंतःस्थापित किया जायगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विजय प्रकाश,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) ६८३-५७१+१०-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>